न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ओ.पी.बिश्नोई, आर.ए.एस.

अपील संख्या 47/2022 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2022/52)

1. मांगेराम पुत्र रामेश्वर जाति जाट साकिन संवाई छानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
2. कृष्ण पुत्र अमर सिह जाति जाट साकिन संवाई छानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. बुद्धराम पुत्र पप्पूराम जाति जाट साकिन संवाई छानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
2. सोनिया पुत्री पप्पूराम जाति जाट साकिन संवाई छानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
3. चन्द्रा पत्नी पप्पूराम जाति जाट साकिन संवाई छानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
4. राजस्थान सरकार।

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः 1. श्री विजय कुमार पारीक – अभिभाषक अपीलान्ट्स
2. श्री हरिराम बिश्नोई – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1, 2, 3
3.श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 21.05.2024**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलेक्टर नोहर अपील सं. 41/11 के निर्णय दिनांक 17.06.2013 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर अपील सं. 41/11 दिनांक 17.06.2013 में पारित निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर निर्णय दिनांक 17.06.2013 को निरस्त करने व वसीयत के आधार पर दर्ज इन्तकाल दिनांक 01.07.2009 को यथावत रखने का अनुतोष चाहा गया है।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया ।
4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कहा कि अपीलाधीन आदेश व

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

तहसीलदार भादरा व उपखण्ड अधिकारी के निर्णय में वर्णित भूमि चक 11 जोगीवाला की 4 बीधा, चक नं. 4 छानी की 10 बीधा 10 बिस्वा व चक नं. 6 झांसल की 1 बीधा 10 बिस्वा कुल 17 बीधा खातेदारी भूमि की वसीयत गुगनराम खातेदार द्वारा अपीलान्ट्स के पक्ष मे हुई थी। गुगनराम लाऔलाद, कुवारा फौत हुआ था, अपीलान्ट द्वारा उसकी सेवा चाकरी की गई, वसीयत सन् 1995 मे की गई है, गुगनराम की मृत्यु दिनांक 11.11.2005 को हो गई। गुगनराम की मृत्यु के बाद अपीलान्ट ने उपखण्ड अधिकारी भादरा में दावा पेश किया, उक्त दावे में दिनांक 27.01.2009 को दावा डिक्री हुवा, दावे मे वसीयत को वैध माना गया तथा प्रकरण को धारा 135 (2) में सुनकर वसीयत के आधार पर निर्णय पारित करने के आदेश दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलान्ट को सुने इकतरफा तौर पर सक्षम न्यायालय के निर्णय के होते हुए बिना क्षेत्राधिकार के आदेश पारित किया है क्योकि दिनांक 01.07.2009 का वसीयत इन्तकाल विवादित था क्योकि सक्षम न्यायालय के निर्णय की पालना में सुनवाई तहसीलदार भादरा के समक्ष हुई थी इस कारण प्रथम अपील डायरेक्टर लेण्ड रिकॉर्ड आफिसर के समक्ष यानि संभागीय आयुक्त के समक्ष लाई होती थी। मगर क्षेत्राधिकार से बाहर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो शून्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को कभी भी सुनवाई बाबत सूचना व नोटिस नही दिया था जबकि अपीलान्ट व्यथित पक्षकार थे। अपीलाधीन भूमि खातेदारी भूमि थी तथा मौके की रिपोर्ट मांगी ही नही गई फिर भी अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट को बिना सुने व बिना तलब किये इकतरफा तौर पर पारित किया गया है, अपीलाधीन आदेश की जानकारी सर्वप्रथम अपीलान्ट को हल्का पटवारी के पत्र दिनांक 24.06.2022 के प्राप्त होने पर हुई। शून्य आदेश व क्षेत्राधिकार विहीन आदेश के विरूद्व अपील पेश करने की मियाद लागू नही होती है, अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर नोहर दिनांक 17.06.2023 निरस्त फरमावे व वसीयत के आधार पर दर्ज इन्तकाल दिनांक 01.07.2009 यथावत रखा जावे। अपीलान्ट्स के विद्वान अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में हिन्दु सक्सेन एक्ट 1956, राजस्थान

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

भू–राजस्व अधिनियम 1956, RRD 2008 पेज 225, RRD 210 पेज 615, RRD 2006 पेज 190, RRD 2002 पेज 280, RRD 199 पेज 98, (H C), RRD 2011 पेज 786, RRD 1994 पेज 276, RRD 1993 पेज 29, RRD 2004 पेज 101, RRD 2019 पेज 510, RRD 1989 पेज 266, RRD 1989 पेज 341, RRD 1993 पेज 127, RRD 2021 पेज 1, RRD 1998 पेज 319, (H C), RRD 1999 पेज 346, RRD 1993 पेज 502, RRD 1996 पेज 457, RRD 1991 पेज 492, RRD 1969 पेज 119, RRD 1986 पेज 7, का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलान्ट की अपील मियाद बाहर पेश की गई है, मियाद के प्रार्थना पत्र में वर्णित तमात तथ्य मिथ्या, गलत व कोर्ट को गुमराह करने के उद्देश्य से वर्णित किया गया है। कब नकल प्रार्थना पत्र पेश किया, कब नकल जारी हुई प्रार्थना पत्र में कोई हवाला नही दिया गया है। प्रार्थीगणो के दादा का भाई गुगनराम व अप्रार्थीगणो के दादा लिछमण का भाई गुगनराम था जो लाऔलाद फौत हो गया। गुगनराम के हिस्से की विवादित कृषि भूमि वाके चक 11 जेजीएम, 10 जेएसएल, 6 जेएसएल व 4 जेजीएम में कुल संयुक्त खाते में 25.806 हैक्टयर स्थित थी। गुगनराम ने अपने हिस्से की भूमि का एक वसीयतनामा अनरजिस्टर्ड दिनांक 10.07.1995 को अपीलाटगणो के पक्ष में करता है जो नोटेरी के रजिस्टर के क्रमांक 519 पर दर्ज किया व इसी प्रकार उसी दिन उसी नोटेरी के रजिस्टर क्रमांक 520 पर एक इकरारनामा अपीलान्ट सं. 1 के पिता रामेश्वर के नाम प्रति बीधा 20000/–रूपये कुल 340000/– रूपये में नगद प्राप्त करके गुगनराम ने उक्त भूमि रामेश्वर को मौके पर कब्जा सभलवा दिया गया। गुगनराम की मृत्यु दिनांक 11.11.2005 को उक्त वसीयत लिखने के दस वर्ष पश्चात हुई। उक्त वसीयत के आधार पर नामान्तकरण दिनांक 01.07.2009 को अपीलान्टगणो के नाम दस्दीक हुआ। उक्त इन्तकाल की अपील पप्पूराम द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर के यहा प्रस्तुत की गई जिसमें अपीलान्टगणो को नोटिस विधिवत तामील हो जाने व हाजिर नही आने पर दिनांक 09.11.2012 को एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित कर प्रकरण सं. 41/11 में निर्णय पारित किया गया। उक्त

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

प्रकरण रिमाण्ड होने पर जो वसीयत इन्तकाल आदेश दिनांक 01.07.2009 निरस्त कर दिया था जिसमें पुनः सुनवाई हेतु अपीलान्टगणो को नोटिस जारी किये गये व समस्त दस्तावेज अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये जिनका गहन अध्यन करने के बाद तहसीलदार भादरा द्वारा दिनांक 21.04.2014 को पूर्व में वसीयत के आधार पर पारित निर्णय दिनांक 01.07.2009 निरस्त करके गुगनराम के हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत वंशावली के अनुरूप विरासतन नामान्तकरण दर्ज के आदेश पारित किये गये है। रामस्वरूप पुत्र हरचन्द द्वारा इन्तकाल सं. 592,798, 562 व 851 की अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर में प्रस्तुत की गई जिसमें अपीलान्टगणो को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस से तलब करने पर इनकी ओर से एडवोकेट्स हाजिर अदालत आये, बहस सुनी जाकर दिनांक 08.05.2018 को निर्णय पारित किया गया। राजस्व मण्डल व उच्च न्यायालय द्वारा अनेको निर्णयो मे यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि वकील की जानकारी पक्षकारो की जानकारी मानी जाती है। इस प्रकार चार वर्ष बाद यह कहना कि वकील द्वारा हमे जानकारी नही दी गई है, मनगढत कहानी मियाद कन्डोन के लिए बनाई गई है। मियाद के लिए प्रत्येक दिन की देरी का कारण बताया जाना आवश्यक है, अपीलान्ट द्वारा पुलिस में FIR होने पर मुल्जिम बनने से बचने के लिए अपील प्रस्तुत कर स्थगन आदेश प्राप्त किया गया है। इस प्रकार अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज की जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ विश्लेषण किया। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार भादरा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.07.2009 में प्रभावित पक्षकार/हितबद्ध काश्तकार की विधिवत सुनवाई का अभाव पाया गया है। इसके अलावा वसीयत की वैधता परखने का क्षेत्राधिकार भी सिविल न्यायालय को प्राप्त है। साथ ही उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 17.06.2013 को पारित किया गया जबकि अपील दिनांक 29.07.2022 को दायर की गई। उक्त विलंब का कारण हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 24.06.2022 को अपीलान्ट

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

को पत्र द्वारा सूचना होना बताया जो विलंब (डिले) ठोस, विश्वसनीय व SUFFICIENT CAUSE की श्रेणी मे नही आता है, इसलिए भी यह अपील मियाद बिन्दु पर भी संधारण योग्य नही है। उक्त विवेचन के मध्यनजर अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.06.2013 में हस्तक्षेप की गुजाईश प्रतीत नही होती है। अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.06.2013 को यथावत रखा जाता है। तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 21.05.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर